सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 16/2014 | दायर दिनाँक 30.01.2014

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हजारीराम पुत्र उमाराम (फौत) 1/1 पतासी पत्नी हजारीराम 1/2 सन्तोष पुत्री हजारीराम 1/3 लादुराम पुत्र हजारीराम 1/4 मन्जु पुत्री हजारीराम 1/5 सोहनी पुत्री हजारीराम 1/6 गिरधारी पुत्र हजारीराम 2. मांगीलाल पुत्र उमाराम, जाति–खाती, निवासी–केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरलाल पुत्र ताराचन्द, 2. अर्जुनराम पुत्र ताराचन्द, 3. प्रभुराम पुत्र ताराचन्द, 4. घनश्याम पुत्र ताराचन्द, 5. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र ताराचन्द, 6. रूघाराम पुत्र घासीराम, 7. कैलाशचन्द्र पुत्र घासीराम, 8. पतासी पत्नी घासीराम, समस्त,जाति–खाती, निवासी–केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. प्रबन्धक, ज0थार ग्रामीण बैंक, केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 11. पुष्पाकँवर पत्नी विक्रमसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 03.08.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित श्री राजेन्द्र कुमार माथुर, वकील, प्रतिवादी सं0 01 ता 07 व श्री विरेन्द्रसिंह वकील, प्रतिवादीगण संख्या 11** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्वा दावा डिक्र सादिर कर वाके शरहद मौजा केराप तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 261 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 262 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा, खसरा सं0 769 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 700 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 660 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1150 दिनाँक 29.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, प्रत्येक पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वाके सरहद केराप के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 16/2014 दायर दिनाँक 30.01.2014

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हजारीराम पुत्र उमाराम (फौत) 1/1 पतासी पत्नी हजारीराम 1/2 सन्तोष पुत्री हजारीराम 1/3 लादुराम पुत्र हजारीराम 1/4 मन्जु पुत्री हजारीराम 1/5 सोहनी पुत्री हजारीराम 1/6 गिरधारी पुत्र हजारीराम 2. मांगीलाल पुत्र उमाराम, जाति–खाती, निवासी–केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरलाल पुत्र ताराचन्द, 2. अर्जुनराम पुत्र ताराचन्द, 3. प्रभुराम पुत्र ताराचन्द, 4. घनश्याम पुत्र ताराचन्द, 5. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र ताराचन्द, 6. रूघाराम पुत्र घासीराम, 7. कैलाशचन्द्र पुत्र घासीराम, 8. पतासी पत्नी घासीराम, समस्त,जाति–खाती, निवासी–केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. प्रबन्धक, ज0थार ग्रामीण बैंक, केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 11. पुष्पाकँवर पत्नी विक्रमसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्रकुमार माथुर, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 की ओर से।
2. श्री विरेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **03.08.2018**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 एक ही पूर्वज की उमाराम खाती निवासी केराप के

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 262 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा में से रकबा 10 बिस्वा भूमि का पतासी द्वारा पुष्प कंवर को किये गये बेचाण क्रमांक 2/17 दिनांक 02.01.2017 प्रतिवादी सं0 01 ता 08 के हितों के हक अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1150 दिनाँक 29.05.2018 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **03.08.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बावत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बावत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक:- 18/9/18

नोट:- तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 843 दिनांक 18-9-18 के द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार निर्णय एवं डिक्री में संशोधन किया जाकर भी मौका रिपोर्ट निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जायज उत्तराधिकारी व वंशज है, जो कि अलग–अलग रहते है और अलग–अलग ही कमाते खाते हैं।

शरहद केराप में खसरा नम्बर 261 रकबा 15.16 बीघा, खसरा नम्बर 262 रकबा 09.19 बीघा, खसरा नम्बर 769 रकबा 22.15 बीघा, खसरा नम्बर 700 रकबा 05.13 बीघा, खसरा नम्बर 660 रकबा 28.02 बीघा है। नकल पेश है।

वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के दादा स्वर्गीय उमाराम की फौतगी के पश्चात् उनके चारों पुत्रों के नाम से अंकित कर दी गयी। इस प्रकार उक्त खसरा की कुल भूमि के सम्भावित 1/4 भाग भूमि पर स्वर्गीय उमाराम के पुत्र ताराचन्द का, 1/4 भाग भूमि पर स्वर्गीय उमाराम के पुत्र घासीराम का, 1/4 भाग भूमि पर हजारीराम का व शेष 1/4 भाग भूमि पर वादी मांगीलाल के कब्जाकाश्त व खातेदारी में रहा।

वादी हजारीराम ने शरहद केराप में खेत खसरा नम्बर 660 रकबा 28.02 बीघा के अपनी खातेदारी के सम्पूर्ण सम्भावित 1/4 भाग की भूमि में से रकबा 05 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 भँवरलाल को हस्तानान्तरित कर दी व शेष वादी हजारीराम का 81/1124 भाग रहा, इस खसरे के शेष 1/4 भाग में से स्वर्गीय ताराचन्द के पुत्रगण प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का, 1/4 भाग स्वर्गीय घासीराम के पुत्रगण प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 का व 1/4 भाग वादी मांगीलाल का रहा।

उक्त हक हिस्सा खातेदारी में स्पष्ट नहीं होने से दावा बाबत् घोषणा खातेदारी का लाजमी आया है। यद्यपि उक्त पैतृक भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 अलग–अलग काबिज हैं मगर बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद है।

वादीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति है। प्रतिवादीगण बिना बन्टवारा ही संयुक्त खातेदारी की भूमि में जबरन निर्माण हेतु आमादा है। दिनाँक 10.01.2014 को वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 आमादा फिसाद हुए व वादीगण को धमकियां दी है। प्रतिवादीगण बिना बन्टवारा ही अगर ऐसा करने में सफल हो गये तो वादीगण को अजहद नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगा। इसलिए वादीगण को लाजमी दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा आया है।

वादीगण राज्य सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई दादरसी नहीं चाहते है इसलिए वाद से दो माह पूर्व तहसीलदार डीडवाना का कानूनी नोटिस नहीं दिया गया है। मगर लैण्ड होल्डर होने से तहसीलदार डीडवाना आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें वाद में पक्षकार बनाया है।

बिनाय दावा प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त खातेदारी में बिना बन्टवारा करवाए दिनाँक 10.01.2014 को निर्माण शुरू करने पर वादीगण द्वारा रोकने पर उनके द्वारा नहीं मानने से अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 16/2014
दायर दिनाँक 30.01.2014, निर्णय दिनाँक 03.08.2018
हजारीराम, वगैरा बनाम् भँवरलाल, वगैरा।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद केराप में खसरा नम्बर 261 रकबा 15.16 बीघा, खसरा नम्बर 262 रकबा 09.19 बीघा, खसरा नम्बर 769 रकबा 22.15 बीघा, खसरा नम्बर 700 रकबा 05.13 बीघा, खसरा नम्बर 660 रकबा 28.02 बीघा का वादी हजारीराम का 1/4 भाग, वादी मांगीलाल का 1/4 भाग, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का 1/4 भाग व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 का 1/4 भाग तथा खेत खसरा नम्बर 660 रकबा 28.02 बीघा में से 1/4 भाग की खातेदारी वादी मांगीलाल के नाम, 1/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के नाम व 1/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 के नाम से, शेष 1/4 भाग में से रकबा 81/1124 भाग की खातेदारी के नाम व 100/562 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 भँवरलाल के नाम से घोषित की जावे।

शरहद मौजा केराप तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 261 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 262 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा, खसरा सं0 769 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 700 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 660 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा के बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादीगण का वाद दिनाँक 04.12.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 1150 दिनाँक 29.05.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 1150 दिनाँक 29.05.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है। वाके सरहद केराप के खसरा संख्या 262 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा में से रकबा 10 बिस्वा भूमि का पतासी द्वारा पुष्प कंवर को किये गये बेचाण क्रमांक 2/17 दिनांक 02.01.2017 प्रतिवादी सं0 01 ता 08 के हितों के हक अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य किया जाता है।

आदेश

हस्वा दावा डिक्र सादिर कर वाके शरहद मौजा केराप तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 261 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 262 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा, खसरा सं0 769 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 700 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 660 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा का वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 16/2014
दायर दिनाँक 30.01.2014, निर्णय दिनाँक 03.08.2018
हजारीराम, वगैरा बनाम् भँवरलाल, वगैरा।

तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1150 दिनाँक 29.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, प्रत्येक पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वाके सरहद केराप के खसरा संख्या 262 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा में से रकबा 10 बिस्वा भूमि का पतासी द्वारा पुष्प कंवर को किये गये बेचाण क्रमांक 2/17 दिनांक 02.01.2017 प्रतिवादी सं0 01 ता 08 के हितों के हक अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1150 दिनाँक 29.05.2018 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **03.08.2018** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

दिनांक:- 18/9/18

नोट:- तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 843 दिनांक 18-9-18 के द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार निर्णय एवं डिक्री में संशोधन किया जाता है/ मौका रिपोर्ट निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner